कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म0प्र0)
दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/STSF/ 2018/ 258 भोपाल, दिनांक 15/03/2018

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, टाईगर रिजर्व
समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक वनविकास निगम
समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी),
समस्त संभागीय प्रबंधक वन विकास निगम
मध्यप्रदेश

विषय :— वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 55 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने के संबंध में।

——00——

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 55 के अंतर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न शासकीय सेवकों को परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसके संबंध में वर्तमान में प्रदेश में कुछ तथ्य प्रकाश में आये जो निम्नानुसार है।

01 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 8582/2013 "**वशीलाल विरूद्ध मध्यप्रदेश**" में सतना वनमंडल में दर्ज वन्यप्राणी अपराध के प्रकरण में **परिक्षेत्र सहायक/उपवनक्षेत्रपाल** के द्वारा धारा 55 के अंतर्गत सुनवाई किये जाने वाले न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सतना में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर वापिस करने का आदेश पारित किया गया।.

02 इसी तरह एक अन्य प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 18233/2017 " **शेख वाहिव विरूद्ध मध्यप्रदेश**" में पन्ना वनमंडल के अमदरा क्षेत्र में दर्ज वन्यप्राणी अपराध के प्रकरण में दर्ज वन्यप्राणी अपराध के प्रकरण में **परिक्षेत्र सहायक** के द्वारा धारा 55 के अंतर्गत सुनवाई किये जाने वाले न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पन्ना में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर वापिस करने का आदेश पारित किया गया।

03 मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम 1974 के नियम 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी को धारा 55 के अधिन परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है—

(क) मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
(ख) वन्यप्राणी अभिरक्षक
(ग) वनपरिक्षेत्र अधिकारी

04 मध्यप्रदेश शासन वनविभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश एफ 15—24/06/1—2 भोपाल दिनांक 03/08/2006 के बिन्दु क्रमांक 25 में धारा 55 बी के तहत वन परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

05 मध्यप्रदेश शासन वनविभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश एफ 15/29/2001/10—2 भोपाल दिनांक 22/01/2002 के द्वारा समस्त वनसंरक्षक, वनमंडलाधिकारी, उपवनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्राधिकारी (क्षेत्रीय, वन्यप्राणी, राष्ट्रीय उद्यान, वनविकास निगम) को अपने—अपने क्षेत्र में वन्यप्राणी अभिरक्षक नियुक्त किया गया है।

——लगातार——

06 वर्तमान में प्राशासनिक व्यवस्था स्वरूप मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र संचालक/वनमंडलाधिकारी द्वारा अपने–अपने अधिन कार्यक्षेत्रों में उपवनक्षेत्रपाल (Deputy Ranger), वनपाल (Forester) को वनपरिक्षेत्र का प्रभार अस्थाई तौर पर देते हुये आदेश जारी किये जा रहे है। चूकि वनपरिक्षेत्र अधिकारी का पद वनक्षेत्रपाल (Forest Ranger) के केडर का पद है परन्तु वनक्षेत्रपाल की कमी होने के कारण अस्थाई तौर पर उनके स्थान पर उपवनक्षेत्रपाल/वनपाल को परिक्षेत्र का प्रभार दिया जा रहा है अथवा दिया गया है। अतः ऐसे वनपरिक्षेत्र के प्रभार के अधिकारी को **प्रभारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी** कहा जाना उचित होगा।

07 राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों में वनपाल, उपवनक्षेत्रपाल, प्रभारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी को धारा **55 के अधिन परिवाद** प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत नही किया गया है।

अतः शासन के हित में व वन्यप्राणी संरक्षण की दृष्टि से जिन क्षेत्रों में वनपाल/उपवनक्षेत्रपाल वनपरिक्षेत्र के प्रभार में है। वहां पर परिवाद **एक स्तर ऊपर** के अधिकारी उपवनमंडल अधिकारी/सहायक संचालक/उपमंडलप्रबंधक तथा उनकी अनुपस्थिति में उनसे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना उचित होगा क्योंकि से सभी अधिकारी अपने–अपने कार्यक्षेत्र के लिये वन्यप्राणी अभिरक्षक होते है साथ ही कुछ शक्तियां धारा 50(8) के तहत इन्हे प्रदान की गई है उसका भी पालन हो सकेगा साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेशों का भी पालन हो सकेगा।

इन नियमों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करे।

14/3/18

(जितेन्द्र अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक,म.प्र.

पृ. क्रमांक/STSF/2018/259 भोपाल, दिनांक 14/03/2018

प्रतिलिपि :–

01 प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश एवं वन बल प्रमुख सतपुडा भवन भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।

02 प्रबंध संचालक वन विकास निगम पंचानन भवन भोपाल की को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक,म.प्र.